(५७)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 509/.तीन/07 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 19.01.2007 के द्वारा अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा, के प्रकरण 195/निग/04.05.

.....

1.रामचन्द्र मिश्रा तनय श्री चन्द्रमणि प्रसाद मिश्रा
निवासी—ग्राम धुरेहटी तहसील हुजूर जिला रीवा
म0प्र0 ..... अवेदक

विरूद्ध

1.सत्यनारायण तनय रामसुभग शुक्ला
निवासी—ग्राम कनौजी तह0 हुजूर
जिला—रीवा
2. म0 प्र0 शासन

.....अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री डी0 एस0 चौहान अभिभाषक,अनावेदक—1
शासन के पैनल अभिभाषक अनावेदक कमांक—2

आदेश

(आज दिनांक 06-11-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 195/अपील/04–05 में पारित आदेश दिनांक 19.01.07 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जावेगा) की धारा–50 केअंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता के द्वारा आराजी नंबर 93 व 94 का सीमांकन किये जाने का आवेदन पत्र पुस्तुत किया गया । जहां पर तहसीलदार के द्वारा दिनांक 29.01.03 को सीमांकन की पुष्टि की गयी है । इस आदेश के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निगेरानी स्वीकार करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया।

3/–उभय पक्ष के विद्वन अधिवक्ताओ के तर्क सुने। तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों एवं अभिलेखों का अध्ययन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहाराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है।

4/–मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखो का अवलोकन किया गया। एवं प्रस्तुत तर्को का विधिवतःपरिशीलन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक के द्वारा सरहदी कास्तकारों को सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है मात्र यह उल्लेख है कि सरहदी कास्तकारों को सूचित किया जाता है, लेकिन सरहदी कास्तकार कौन है इसका उल्लेख नहीं है। साथ ही किस कास्तकार को तामीली करायी गयी है यह भी स्पष्ट नहीं है । इसके अलावा आपत्तिकर्ता ने सीमांकन पर आपत्ति प्रस्तुत की थी जिसकी कार्यवाही लंबित है तो सीमांकन किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने यही आधार मानते हुये गैर निगरानीकर्ता की निगरानी को स्वीकार किया है । अपर आयुक्त का आदेश विधिसंगत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा, के प्रकरण 195/निग/04.05 में पारित आदेश दिनांक 19.1.07 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर